न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 02/2025 दायर दिनाँक 02.01.2025

वादी		प्रतिवादी
1. रामस्वरूप पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी खिरोड़ नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	बनाम्	1. श्री श्याम चेरिटेबल सोसायटी, गोविन्द नगर, झोटवाड़ा, जयपुर जरिये कोषाध्यक्ष ताराचन्द पुत्र सुखदेवाराम निवासी टोडी झुन्झुनु। 2. तहसीलदार छोटी खाटू जरिये भूमिधारी राज. सरकार

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–
श्री मो. शरीफ शेरानी एडवोकेट वादी।
श्री मो. रफिक एडवोकेट प्रतिवादी सं.1।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम छोटी खादु में खेत खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर बारानी उत्तम व खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर गैर मुमकीन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि अवस्थित है। खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर जो खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के स्थान पर आना था तथा खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर जो खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर के स्थान पर आना था, जबकि उक्त विवादग्रस्त जमीन में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है, जिस कारण से वादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम खादु खुर्द में खेत खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर जो खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के स्थान पर किया जावे तथा खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर जो खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर के स्थान पर किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। दिगर दादरसी मुफीद वादी अता फरमावें तथा खर्चा दावा जिम्में प्रतिवादीगण के रखा जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मो. रफिक ने इकबालिया जवाब पेश किया। तहसीलदार (भू.अ.) छोटीखाटू के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/882 दिनांक 05.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार (भू.अ.) छोटीखाटू से प्राप्त [illegible] ग्राम खाटू खुर्द में नामान्तकरण संख्या 2943 में खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.16 बीघा का बेचान किया गया है। उक्त खसरा संख्या 232[illegible] [illegible] दिशा में की गई है तथा 1785/568) की तरमीम नामान्तकरण [illegible] 1271 रकबा 0.13 बीघा [illegible] नामान्तकरण संख्या 2944 में खसरा संख्या 2[illegible] [illegible] (नया खसरा संख्या [illegible] बेचान किया गया है। उक्त खसरा संख्या 2329/1271 (नया खसरा संख्या [illegible] की पूर्व दिशा में बेचान किया गया 1786/568), खसरा संख्या 2328/1271

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

है। मुताबिक विक्रय पत्र, बक्सीसनामा व नामान्तकरण संख्या 2943 तथा 2944, संपरिवर्तन आदेश व मौका अनुसार ग्राम खाटूखुर्द के खसरा संख्या 1785/568 को पश्चिम में तथा खसरा संख्या 1786/568 को पूर्व में किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद खाटूखुर्द के खेत खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर को खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के स्थान पर तथा खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर को खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर के स्थान पर किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। रेकर्ड के अवलोकन अनुसार खसरा संख्या 1786/568 गैर मुमकिन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित किया जा गया है। जिसका वादी रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहता है। चुंकि खसरा नम्बर 1786/568 की भूमि राजस्व भूमि नहीं होकर सम्परिवर्तित भूमि है। जिसका न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद वादी परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद खाटूखुर्द के खेत खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर को खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के स्थान पर तथा खसरा संख्या 1785/568 रकबा 0.1300 हैक्टेयर को खसरा संख्या 1786/568 रकबा 0.1000 हैक्टेयर के स्थान पर दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारीज किया जाता है।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.08.2025** को खुले इजलास में सुनाया गया।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested